न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 84/2019 G.C.M.S. No. 2019/00362 दर्ज दिनांक : 25.09.2019

अपीलार्थिगण:

1. बाबुलाल पुत्र श्री जीतारामजी, जाति सरगरा, उम्र 62 वर्ष, निवासी घेनडी, हाल निवासी 138, टेगोर नगर, पाली, तहसील व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. उपखंड अधिकारी रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
2. तहसीलदार/नायब तहसीलदार रानी, तहसील रानी व जिला पाली।
3. सरपंच ग्राम पंचायत घेनडी, तहसील रानी, जिला पाली।
4. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत घेनडी, पंचायत समिति रानी, तहसील रानी, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019

उपस्थित–

1. श्री पीताराम परिहार, श्री प्रवीण गर्ग, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि ग्राम घेनडी, तहसील देसुरी, हाल रानी की जमाबंदी संवत 2019–22 के अनुसार खसरा नम्बर 365 रकबा 11 बीघा 6 बिस्वा किसम बारानी अपीलान्ट के पिता जीतारामजी एवं सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि थी। उक्त जमाबंदी की नकल पेश है। जमाबंदी में अंकित नोट के अनुसार खातेदारी भूमि को गोचर दर्ज कर दिया। जमाबंदी में अंकित नोट में जिला कलेक्टर पाली के आदेश शून्य, दिनांक शून्य, तहसीलदार के आदेश एवं दिनांक शून्य लिखा हुआ है, जमाबंदी के अवलोकन मात्र से यह स्थिति रेकर्डेड प्रमाणित है। जिला कलेक्टर पाली के बिना आदेश बिना दिनांक एवं तहसीलदार देसूरी के बिना आदेश एवं दिनांक के अपीलान्ट की खातेदारी भूमि को गोचर में दर्ज करने हेतु संवत 2019–22 में कार्यरत पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक प्रत्यक्ष रूप से दोषी हैं, इन्होंने पद का दुरूपयोग कर ग्राम पंचायत के पक्ष में गोचर नियम विरूद्ध दर्ज किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि परिवर्तित Land Record Rules

Scanned with OKEN Scanner

के तहत म्युटेशन भरने एवं स्वीकृत करते की स्थिति में ही जमाबंदी में नोट अंकित करने का प्रावधान है। बिना म्युटेशन स्वीकृत किये जमाबंदी में नोट अंकित कर अपीलान्ट एवं सह खातेदारों को अपने खातेदारी अधिकार से वंचित करने हेतु दोषी हैं। विवादित पुराने खसरा नम्बर 365 के हाल खसरा नम्बर 660 रकबा 2.06 हैक्टेयर बारानी की जिसकी जमाबंदी नकल संलग्न हैं। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 660 रकबा 2.06 हैक्टेयर में से ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा आबादी की मांग करने पर 1.60 हैक्टेयर भूमि आबादी घोषित की गई। ग्राम पंचायत द्वारा घोषित आबादी में नायब तहसीलदार रानी ने अपनी रिपोर्ट में पट्टे जारी करना बताया, जिनके नाम पट्टे जारी किये गये हैं, उनका मौके पर बाड़े के रूप में कब्जा होना, नायब तहसीलदार रानी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। जिसकी प्रति पेश हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पट्टा जारी करने की प्रक्रिया है, जिसके अनुसार नीलामी अथवा पुराने कब्जे मकान के रूप में होने की स्थिति में नियम 157 (क) के तहत पट्टे जारी किये जा सकते है। उक्त वर्णित तथ्यों के अनुरूप पंचायत द्वारा नियम विरूद्व पट्टे जारी किये गये हैं, जिसके लिए सरपंच ग्राम पंचायत घेनडी दोषी है। पट्टो को खारिज कराने हेतु ग्राम पंचायम घेनडी से कई बार नकले मांगी गई, परन्तु अपनी हठधर्मिता से मुझे पट्टों की नकले नहीं दी गई। नायब तहसीलदार रानी ने ग्राम पंचायत एंव ग्राम के कुछ प्रभावी व्यक्तियों से सांठ–गाठ कर गलत रिपोर्ट दी गई, जिसमें अपीलान्ट का कब्जा नहीं होना बताया तथा खसरा नम्बर 660/1 रकबा 1.60 हैक्टेयर भूमि आबादी होने के पश्चात शेष रकबा 0.46 हैक्टेयर गोचर के उपयोग होना बताया जो रेकर्ड एंव मौके की स्थिति के अनुसार विरोधाभाषी है, खसरा नम्बर 660 एवं 660/1 की भूमि न तो आबादी के प्रयोजनार्थ एवं न ही गोचर प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। भूमि ग्राम की आबादी से लगती हुई हैं, कभी भी गोचर के रूप में उपयोग में नही रही। उपखण्ड अधिकारी रानी के द्वारा नायब तहसीलदार रानी की गलत रिपोर्ट के आधार पर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, निर्णय में अपीलान्ट की खातेदारी सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति नही होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जबकि विवादित भूमि को गोचर से पुनः खातेदारी में दर्ज करने के संबंध में राजस्व वाद एस.डी.ओ. रानी के न्यायालय में लम्बित है, उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअन्दाज, बिना परीक्षण नायब तहसीलदार रानी की गलत रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

हमने प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व दीगर वादीगण द्वारा अपीलाधीन आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 विरूद्ध रेस्पोंडेंट अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.08.2019 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा प्रकरण में दीगर पक्षकारान को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण में दीगर पक्षकारान बतौर वादीगण/प्रार्थीगण संयोजित रहे हैं।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व दीगर वादीगण द्वारा ग्राम घेनडी के पुराना खसरा संख्या 365 नवीन खसरा संख्या 660 पर प्रार्थीगण का पूर्वजों से कब्जाकाश्त होने, संवत 2019–20 में बिना किसी आधार के अवैधानिक तरीके से उक्त आराजी को गोचर दर्ज कर देने एवं ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा अवैधानिक तरीके से उक्त भूमि पर दीवार बनाने, अन्य लोग भी बाड़ा बनाकर कब्जा करने जबकि अपीलाधीन आराजी प्रार्थी की खातेदारी भूमि होने तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू होने से रोकने के लिए खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को पाबंद करने हेतु निवेदन किया।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर–मुमकिन गोचर दर्ज होने तथा खसरा संख्या 660 में से 1.60 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत घेनडी को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित होकर अभिलेख में गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने, ग्राम पंचायत घेनडी द्वारा आवंटित आबादी भूमि पर विकास कार्य करवाया जाना, सवंत 2019–20 के पश्चात भी एक और भूप्रबंध कार्यवाही होने के बावजूद प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने, प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं होने तथा प्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जाकाश्त होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के विवेचन के साथ प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति बखूबी साबित नहीं होने से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

5. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील मीमो में अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि वादग्रस्त भूमि गलत रूप से गैर–मुमकिन गोचर दर्ज की गई है तथा गलत रूप से ग्राम पंचायत को आबादी प्रयोजनार्थ आवंटित किया गया है। जबकि उक्त भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि रही हैं तथा मौके पर आबादी व गोचर प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं आ रही हैं, के संबंध में हमारा यह विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा लिए गए उक्त उज्र मुख्य रूप से वादपत्र द्वारा वांछित मुख्य अनुतोष से संबंधित है। जिसके संबंध में इस स्तर पर किसी प्रकार की टिप्पणी व अभिमत प्रकट करना अपेक्षित व विधिसंगत नहीं होगा।

6. हमारे विनम्र मत में चूंकि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट का कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग होने के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया बल्कि अपीलांट द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विवादित भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तथा अन्य लोगों द्वारा बाड़ें आदि बनाए जा रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह भी स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे भी जारी किए गए हैं। अतः इससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग बखूबी साबित नहीं होता है। लिहाजा, सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं होता है।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की समुचित सुनवाई उपरांत विस्तृत विवेचन के साथ अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिविरूद्धता या त्रुटि साबित या प्रकट नहीं होती हैं। अतः इस स्तर पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधिसंगत नहीं होगा।

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होती हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18ए/2016 में पारित आदेश दिनांक 28.08.2019 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner